

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

वबलु

बनाम

कन्या

केसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 259/2022

2022/266

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

30/5
2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती वबलु - कैलाश पिता उकोरलाल मीणा
कमला पत्नी उकोरलाल मीणा ~~पत्नी~~ लीलाबाई - चन्दा
 पिता श्री उकोरलाल मीणा पिता मीणों का कंधारिया
 निवासी- मीणों का कंधारिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम
मीणों का कंधारिया स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 407, 410, 451, 472
481, 508, 509, 560, 579, 608, 646, 667, 690 कीता 13
रकबा 2.700 है आ.नं. 647 रकबा 0.2700 है
 कुल कीता 14 कुल रकबा 2.9700 है की पत्थरगढी
 कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज
 रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम मीणों का कंधारिया स्थित खातेदारी की भूमि आराजी
 नम्बर 407, 410, 451, 472, 481, 508, 509, 560, 579, 608,
646, 667, 690 कीता 13 रकबा 2.700 है आ.नं. 647
रकबा 0.2700 है

कुल कीता 14 रकबा 2.9700 है की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी
 किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का
 खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 15000=00 रुपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये
 प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर
 पेश हो।

(रजम सुन्दर किशोर्दे)

सहायक क्लर्क एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)